

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वहलम भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ24-2/2009/2-38
प्रति,

भोपाल, दिनांक 26/5/09

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय/
शैक्षणिक संस्थान (मध्यप्रदेश)


विषय:-मध्यप्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के पूरे नाम ही समस्त स्तरों पर प्रयुक्त किये जाने संबंधी निर्देश बाबत ।

-0-

प्रायः देखा गया है कि "प्रदेश की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का नामकरण राष्ट्र के महापुरुषों के नाम पर किया गया है परन्तु सामान्य व्यवहार में उक्त संस्थाओं के नाम का उल्लेख करते समय संस्थाओं का पूरा नाम न लिखकर संक्षिप्त नाम का प्रयोग किया जाता है । उदाहरणतः "शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय" के स्थान पर "एम०एल०बी० महाविद्यालय" लिखा जाता है, जिससे उक्त संस्था के नामकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ।

अतः आदेशानुसार उल्लेख है कि समस्त स्तरों पर संस्थाओं के पूरे नाम ही प्रयुक्त किये जायें । इन निर्देशों का क्रम से फलन भी सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. महेंद्र सिंह रघुवंशी)
उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 26/5/09

पृ०क०एफ एफ24-2/2009/2-38

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान०मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल ।
 3. जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।
 4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
 5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश की ओर प्रकाशनार्थ अर्गपित ।
- कम्प्यूटर कक्ष, CHE की कोर वेबसाइट पर डालने हेतु अग्रगणितः


उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग